आयकर/सीमा एवं उत्पाद शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध मामले

4534. **श्री नागमणि:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार उन आयकर अधिकारियों, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अधिकारियों पर नजर रखती है जिन्होंने अपनी आय के ज्ञात साधनों के अनुपात से अधिक सम्पत्ति जमा कर रखी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार और कर-अपवंचन के कितने मामले दर्ज किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्थनम): (क) जी हां, अधिकारियों की आय से अधिक परिसंपत्तियों के संबंध में सूचना इस विभाग को या तो केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/अन्य एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है अथवा प्राप्त शिकायतों की जांच पूरा करने के बाद मिलती है। इस प्रयोजन हेतु, राजस्व विभाग के अन्तर्गत दो अलग-अलग सतर्कता निदेशालय हैं, एक आयकर अधिकारियों के लिए तथा दूसरा सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के लिए है।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा शुरू किए गए, आय से अधिक परिसंपत्तियों के मामलों का वर्ष-वार और विभाग-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

वर्ष	आयकर	सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
1995	5	4
1996	5	7
1997	9	9
1998 (30-06-1998 तक)	2	3
कुल	21	23

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो में दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या (आय से अधिक परिसंपत्तियों के मामलों से भिन्न) निम्नप्रकार है:—

वर्ष	आयकर	सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
1995	18	45
1996	19	43
1997	14	36
1998 (30-06-1998 तक)	7	16
कुल	58	140

Committee on Pay Structure of RRB Staff

4535. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the functioning of a Committee appointed by Reserve Bank of India for recommending pay structure of Regional Rural Bank Staff has been stayed by Hon'ble High Court at Bangalore;

(b) whether Government are considering the recommendations of the same Committee as submitted by RBI with its views; and

(c) if so, whether Government have taken the permission of the Hon'ble High Court?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAM): (a) The pay and allowances of the employees of the Regional Rural Banks (RRBs) are to be determined by the Government under Section 17(1) of the Regional Rural Banks Act, 1976. Reserve Bank of India (RBI), on the advice of Government, appointed a Committee (Mahalik Committee) to make recommendations to Government on the issue. The Committee has since submitted its report.

As reported by RBI, Hon'ble High Court of Karnataka has granted interim